रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



EXTRAORDINARY

भाग 11-सण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

# . 1365	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2008/आश्चिन 4, 1930
No. 1365]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2008/ASVINA 4, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालव

(सन्नक परिवहन और राजमार्ग विष्याग)

अधिसुचनः

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2008

का.आ. 2297(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग अंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना स का.आ. 1996(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नुलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम स. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. स. और प्रविष्टियां रखी जाएंगे, अर्थात :---

क्रम सं	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
(1)	(2)	(3)
"11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0.00 कि.मी. से 592.0 कि.मी. तक (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर 216.914 कि.मी. से 318.00 तक (बंगलौर-हास्कोटे-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा)] सं. 4क, सं. 9, सं. 13 [743.900 कि.मी. से 745.000 कि.मी. तक (मारोली जंक्शन से नान्टूर जंक्शन) को छोड़कर] सं. 17 [358.00 कि.मी. से 745.000 कि.मी. तक (मारोली जंक्शन से नान्टूर जंक्शन) को छोड़कर] सं. 17 [358.00 कि.मी. से 375.300 कि.मी. (सूरतकाल से नांटूर) वक को छोड़कर], सं. 48 [28.200 कि.मी. से 110.00 कि.मी. तक (साट्रीय राजमार्ग 48 के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर नेलमंगला जंक्शन से देवीहल्ली तक को छोड़कर) और 328.000 कि.मी से 345.000 कि.मी. तक (बी.सी. रोड से पाहिल जंक्शन तक)] सं. 63, सं. 67, सं. 206, सं. 207, सं. 209, सं. 212 और सं. 218 (बीजापुर और जेवारगीगुलबर्गा को जोड़ने वाले तिथा होमनावाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाले बिस्तार सहित) कर्नाटक राज्य के भीतर स्थित हैं।	कर्नाटक सन्य सरकार ।'';

[फा. सं. एनएच-14012/8/2004-पी एंड एम]

प्रमाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई और अंतिम संशोधन संख्यांक का.आ. 1100(अ), तारीख 5 मई, 2008 द्वारा किया गया 1

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2008

S.O. 2297(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :----

\$1. No.	Description of National Highway	Name of the State Government
()	(2)	(3)
"""	So much of National Highways No. 4 [excluding from km. 0.0 to km. 592.0 (Bangalore to Karnataka/Maharashtra Border) and from km. 216.914 to km. 318.00 (Bangalore-Hoskote-Karnataka/Andhra Pradesh border)], No. 4A, No. 9, No. 13 [excluding from km. 743.900 to km. 745.000 (Maroli Junction to Nanthoor Junction)], No. 17 [excluding from km. 358.000 to km. 375.300 (Suratkal to Nanthoor)], No. 48 [excluding from km. 28.200 to km. 110.00 (Nelamangala Junction on NH 4 with NH 48 to Devihalli) and from km. 328.000 to km. 345.000 (B.C. Road to Padil junction)], No. 63, No. 67, No. 206, No. 207, No. 209, No. 212 and No. 218 (including extension from Bijapur and connecting Jevargi-Gułbarga and terminating at its junction with NH 9 near Homnabad) as are situated within the State of Karnataka.	State Government of Kamataka.";

[F. No. NH-14012/8/2004-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foomote:— The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1100(E), dated 5th May, 2008.